न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्ण गोपाल जोजन

प्रकरण सं0 153 / 2019 **दायर दिनांकः 04 / 10 / 2019**

उनवान

1. बाबुलाल आयु 45 वर्ष पुत्र रामस्वरूप
2. महेन्द्र कुमार आयु 39 वर्ष पुत्र रामस्वरूप
3. सुगनाबाई आयु 42 वर्ष पुत्री रामस्वरूप जातियान धाकड निवासीगण कॅवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 65 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी कॅवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा।

आदेश दिनाकः 21 / 10 / 2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि वाके ग्राम एंव माल कॅवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 77 का ख0 न0 57 का रकबा 0.23 है0 ख0 न0 111 का रकबा 0.11 है0 ख0 न0 225 का रकबा 1.28 है0 ख0 न0 304 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 4 का रकबा 2.72 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074,ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र , वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी भैरूलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता भैरूलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं।

वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4, बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/4 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 24.07.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/4 ,1/4 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एंव गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/4 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/4 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 25.08.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ । उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवाद –ग्रस्त आराजी ग्राम व माल कॅवरपुरा तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/4, 1/4, का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम व माल कंवरपुरा की खाता संख्या 77 का ख0 न0 57 का रकबा 0.23 है0 ख0 न0 111 का रकबा 0.11 है0 ख0 न0 225 का रकबा 1.28 है0 ख0 न0 304 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 4 का रकबा 2.72 है0 प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी पेत्रक है। जो कि प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप को पिता से प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 77 का ख0नं0 57 का रकबा 0.23 है0 ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 ख0नं0 225 का रकबा 1.28 है0 व ख0नं0 304 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 4 की 2.72 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 में आपसी सहमति से राजीनाम हो गया है जो निम्न प्रकार हैः— खाता संख्या 77 का ख0नं0 57 का रकबा 0.23 है0 आराजी का खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें खाता संख्या 77 का ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 आराजी पर वादी क्रम 3 सुगना बाई को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार दर्ज किया जावें खाता संख्या 77 का ख0नं0 225 का रकबा 1.28 है0 ख0नं0 304 का रकबा 1.10 है0 आराजी पर वादी क्रम 1 बाबूलाल वादी क्रम 2 महेन्द्र कुमार को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 3 सुगना बाई ने अपने हिस्से की आराजी खाता संख्या 77 का ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप के पक्ष में कर दिया दिया है इसलिऐ मुताबिक राजीनामा के खाता संख्या 77 का

ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 आराजी पर भी प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम कंवरपुरा की खाता संख्या 77 का ख0नं0 57 का रकबा 0.23 है0 ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 ख0नं0 225 का रकबा 1.28 है0 व ख0नं0 304 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 4 की 2.72 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 में आपसी सहमति से राजीनाम हो गया है जो निम्न प्रकार हैः— खाता संख्या 77 का ख0नं0 57 का रकबा 0.23 है0 आराजी का खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें, खाता संख्या 77 का ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 आराजी पर वादी क्रम 3 सुगना बाई को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार दर्ज किया जावें खाता संख्या 77 का ख0नं0 225 का रकबा 1.28 है0 ख0नं0 304 का रकबा 1.10 है0 आराजी पर वादी क्रम 1 बाबूलाल वादी क्रम 2 महेन्द्र कुमार को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जावें। वादी क्रम 3 सुगना बाई ने अपने हिस्से की आराजी खाता संख्या 77 का ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप के पक्ष में कर दिया दिया है इसलिऐ मुताबिक राजीनामा के खाता संख्या 77 का ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 आराजी पर भी प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार कृषक घोषित किया जावें। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कंवरपुरा की खाता संख्या 77 की ख0नं0 57 रकबा 0.23 है0 ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 ख0नं0 225 का रकबा 1.28 है0 ख0नं0 304 रकबा 1.10 है0 किता 4 रकबा 2. 72 है0 का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से निम्न प्रकार किया जाता हैः—

1. ख0नं0 57 का रकबा 0.23 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप के हिस्से में रहेगी।
2. ख0नं0 111 रकबा 0.11 है0 प्रतिवादी क्रम 3 सुगना बाई को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।
3. ख0नं0 225 रकबा 1.28 है0 ख0नं0 304 रकबा 1.10 है0 आराजी पर वादी क्रम 1 बाबूलाल क्रम 2 महेन्द्र कुमार को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 3 सुगना बाई द्वारा अपना हिस्सा ख0नं0 111 रकबा 0.11 है0 का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में कर दिया है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। कि हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 153/2019

उनवान

1. बाबुलाल आयु 45 वर्ष पुत्र रामस्वरूप
2. महेन्द्र कुमार आयु 39 वर्ष पुत्र रामस्वरूप
3. सुगनाबाई आयु 42 वर्ष पुत्री रामस्वरूप जातियान धाकड निवासीगण कॅवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज)

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 65 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी कॅवरपुरा तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कंवरपुरा की खाता संख्या 77 की ख0नं0 57 रकबा 0.23 है0 ख0नं0 111 का रकबा 0.11 है0 ख0नं0 225 का रकबा 1.28 है0 ख0नं0 304 रकबा 1.10 है0 किता 4 रकबा 2.72 है0 का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से निम्न प्रकार किया जाता हैः–

1. ख0नं0 57 का रकबा 0.23 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 रामस्वरूप के हिस्से में रहेगी।
2. ख0नं0 111 रकबा 0.11 है0 प्रतिवादी क्रम 3 सुगना बाई को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

ख0नं0 225 रकबा 1.28 है0 ख0नं0 304 रकबा 1.10 है0 आराजी पर वादी क्रम 1 बाबूलाल क्रम 2 महेन्द्र कुमार को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 3 सुगना बाई द्वारा अपना हिस्सा ख0नं0 111 रकबा 0.11 है0 का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में कर दिया है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। कि हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.11.18 10:48:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: